

## महिला सशक्तिकरण और उदारवाद

डॉ० दीपशिखा

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

अठारहवीं सदी की प्रारंभिक उदारवादी ने, मानवीय गरिमा और समानता की उदारवादी धारणाओं और महिलाओं के जीवन की वास्तविक हकीकत के बीच व्याप्त अन्तर्विरोधों को प्रखरता के साथ सामने रखा था। उदारवादी परिप्रेक्ष्य ने आजादी और समानता के जनतांत्रिक मूल्य और औरत की अधीनता के बीच अन्तर्विरोध को रेखांकित किया। जेंडर पर आधारित विभेद और परिवार तथा समाज में महिलायें की दोगम स्थिति को तर्कसंगत ठहराने वाली आम धारणाओं को सामाजिक अनुकूलन और जड़ीभूत सांस्कृतिक मूल्यों की उपज के तौर पर समझने की भी उसने कोशिश की। समानता और न्याय की धारणाओं के सन्दर्भ में उसने विवाह नामक संस्था के मूल्यांकन का प्रयास किया। ये सभी विचार महिलाओं की समानता, कानूनी सुधारों की माँग, समान अवसरों तक पहुँच, सार्वजनिक दायरों में शामिल होने के प्रति महिलाओं के अधिकार तथा मानव के तौर पर अपने अन्दर निहित संभावनाओं को पूरा करने का अवसर आदि विभिन्न मसलों पर आधारित अभियानों का आधार बने।

उदारवादी नारीवाद उदारवाद की दार्शनिक परंपराओं का अनुगमन करता है, जो 17वीं सदी के परवर्तीकाल से 18वीं सदी के परवर्तीकाल तक पश्चिमी जगत में सम्पन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों की उपज थी। विज्ञान में प्रगति और जीव विज्ञान, भूगोल तथा भौतिकी में सामने आई नई खोजें और वैज्ञानिक नियमों के सन्दर्भ में प्रगति आदि के चलते परंपरा की तुलना में तर्कविधान को अधिक महत्व दिया। रूपान्तरण के इस दौर को विवके का युग या प्रबोधन का युग कहते हैं। इस काल में सामाजिक-आर्थिक बदलावों ने सामाजिक विस्थापन को जन्म दिया जिसकी परिणति चर्च की पारंपरिक अधिसत्ता, कुलीनवर्ग और धनी तबकों को चुनौती दे सकने वाले सिद्धान्तों के रूप में उदय हुआ। पहले से चले आ रहे सामन्ती विश्वासों को नागरिकों के अधिकार, व्यक्तियों की तार्किकता और समान अवसरों के विचारों ने चुनौती दी। अमरीकी और फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति द्वारा सम्पन्न बदलावों, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण आदि के कारण नई वर्ग संरचनाओं विशेषकर नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसने राजाओं तथा कुलीन वर्ग के दैवी अधिकारों, चर्च के प्राधिकार आदि पर प्रश्न उठाए और सम्पत्तिहीन वर्गों और आम आदमी की राजनीतिक सहभागिता पर जोर दिया। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, वोट डालने और शासकीय पद हासिल करने और

सम्पत्ति रखने आदि के प्रति आम आदमी की क्षमता और अधिकारों को व्यक्ति के अन्तर्निहित प्राकृतिक अधिकारों मसलन जीवन, स्वतंत्रता तथा सरकारी दखलनदाजी के बिना सुख पाने की कोशिश के अधिकारों के अधिकारों के आधार पर अधिकाधिक महत्व दिया जाने लगा। समग्रता में देखें तो यह परंपरा के ऊपर विवके विधान और अधिनायकवादी के बजाय मानवतावादी पहुँच का बढ़ता हुआ प्रभुत्व था। यह उदारवाद का प्रदर्शन था जो व्यक्ति आजादी के सिद्धान्त पर आधारित था जिसका मतलब था— चयन की स्वतंत्रता, समान अवसर और नागरिक अधिकार। यह तमाम अधिकार प्रबोधन और विवके के युग की विरासत थे। हालांकि हकीकत और व्यवहार में देखें तो स्वतंत्रता समानता और न्याय की धारणाएँ महज पुरुषों पर लागू होती थी। पुरुषों के अंदर भी देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार के तौर पर स्वतंत्रता का विचार और उसमें से निकलने वाली प्राकृतिक अधिकारों की धारणा सिर्फ सम्पत्तिशाली अभिजातवर्गीय पुरुषों तक ही सीमित थी। महिलाएँ, निम्न वर्ग और गुलाम राष्ट्रों के नागरिक इस दायरे के बाहर थे लेकिन सार्वभौतिक अधिकारों के सिद्धान्त की बुनियाद बनी मानवीय गरिमा और समानता की दृष्टि ने सभी समाजों के उत्पीड़ित तबकों को अधीनता की अपनी स्थिति का प्रतिवाद तथा प्रतिरोध करने के लिए तार्किकता प्रदान की।

मानवीय समानता की धारणा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तसे प्राप्त की गई थी और उस पर अमरीकी स्वाधीनता की घोषणा, मनुष्य के अधिकारों के बारे में फ्रांसीसी घोषणा और उसके बाद समूची 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के शुरुआत दौर में जोर दिया गया था। 17वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लॉक जैसे विचारकों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा को रेखांकित किया जाने लगा। इन्हीं से संस्थागत रक्षा कवचों और सरकारी सत्ता पर अंकुश जैसे विचारों की शुरुआत हुई। इनका मकसद था राजनीतिक अधिसत्ता के मनमाने अतिक्रमण से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। मतदान का अधिकार और कानूनी समानता ऐसी राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक पूर्व शर्त थी, जिसे बाद में समूची वयस्क आबादी के लिए विस्तारित किया गया। सभी के लिए समग्र अधिकार और स्वतंत्रता मिलने के पहले पूर्ण नागरिकता प्राप्ति के लिए संघर्ष चले। प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार के तौर पर स्वतंत्रता तथा उससे अनुगमित प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का दायरा अपने शुरुआती समय में इसी के चलते सीमित था।

उदारवाद की बुनियाद बने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के विचार सत्ताहीन और चाहरदीवारी में बंद महिलाओं के वास्तकवक जीवन के अनुभवों से बिल्कुल विपरीत थे।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :**

1. शर्मा, झा एवं विनयक, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, पृ. 55।
2. लखनपाल, चन्द्रावती, स्त्रियों की स्थिति, पृ. 26।
3. सवूर, प्रो. मनोरमा, वीमन लिबरेशन एण्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटी।
4. बोस्सप, इस्टर, वुमन्सरोल इन इकोनोमिक डेवलपमेन्ट, लंदन।
5. हिलाइथ, आई.बी., वूमन इन क्लास सोसाइटी, न्यूयार्क, 1978।
6. गुप्ता, वुमन एण्ड सोसायटी।
7. जगन, एलिसन, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एण्ड ह्यूमन नेचर एण्ड एलिन हैण्ड ससेक्स, 1988।
8. ह्यूम, एम., फेमिनिज्म : ए रीडर।
9. राइट, स्टेफनी हॉगसन, अर्ली फेमिनिज्म।